रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 1999/पौष 8, 1921
No. 617] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 1999/PAUSA 8, 1921

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1999

सा.का.नि. 827(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पासपोर्ट नियमावली, 1980 में और संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1999 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम 01 जनवरी, 2000 से प्रभावी होंगे ।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 की अनुसूची में क्रम संख्या 28 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :-

1	2	3	4
बिना बारी के (तत्काल) पासपोर्ट			
29.	आवेदन की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर नये बिना बारी के (तत्काल) पासपोर्ट जारी करना।	1500/-रुपए जमा यथा-योग्य पासपोर्ट शुल्क	3750/- रुपए जमा यथा-योग्य पासपोर्ट शुल्क

30.	आवेदन की तारीख से आठ से अट्ठाईस कार्यदिवस के भीतर नये बिना बारी के (तत्काल) पासपोर्ट जारी करना।	1000/-रुपए जमा यथा- योग्य पासपोर्ट शुल्क	2250/- रुपए जमा यथा- योग्य पासपोर्ट शुल्क
31.	गुमशुदा, क्षतिग्रस्त, नष्ट अथवा किसी अन्य कारणों के परिणामस्वरूप साधारण पासपोर्ट के बदले में आवेदन की तारीख से पाँच कार्य दिवस के भीतर बिना बारी के (तत्काल) डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करना ।	2500/- रूपए जमा यथा योग्य डुप्लीकेट पासपोर्ट शुल्क	यथायोग्य डुप्लीकेट पासपोर्ट शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं
32.	दस/बीस वर्ष की वैधता अवधि समाप्ति के पश्चात् सभी नए सिरे से जारी किए जाने वाले पासपोर्ट के मामलों में, जहाँ पासपोर्ट आवेदन की तारीख से पाँच कार्यदिवसों के भीतर पुनः जारी करना होता है ।	1500/- रूपए जमा यथा- योग्य पासपोर्ट शुल्क	3750/- रूपए जमा यथा- योग्य पासपोर्ट शुल्क

टिप्पणी: क्रम सं0 29, 30, 31 और 32 के अन्तर्गत शामिल बिना बारी के (तत्काल) पासपोर्ट की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित मामलों में केवल यथायोग्य पासपोर्ट शुल्क देय होगा, अर्थात् :

(i) आवेदन को विशिष्टिकृत चिकित्सा और परामर्श के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई हो, और

(ii) आवेदक के पति/पत्नी, पिता, माता, बच्चे, बच्चों के पति/पत्नी, पोते/पोतियों, भाईयों और उनकी पत्नियों और बहनों और उनके पतियों की विदेशों में मृत्यु हो जाने की दशा में ।

(iii) जब कोई छात्र आवेदक को विदेशी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए परीक्षाओं में सम्मिलित होने अथवा अध्ययन के लिए विदेश जाने की आवश्यकता हो बशर्ते कि उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 2000 रूपये प्रतिमाह से कम हो ।

[फा. सं. VI/1/401/38/98]

एस. आर. तायल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

IndiaCode

टिप्पण : मुख्य नियम दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 (1980 बाद्य) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 657 (ई) भाग-II खण्ड-3, उप खण्ड-(i) के माध्यम से प्रकाशित किए गए, तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाएँ संशोधन के लिए जारी की गई :

1. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 50 (ई) दिनांक 07.02.1981
2. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 469 (ई) दिनांक 24.06.1982
3. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 325 (ई) दिनांक 12.04.1983
4. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 494 (ई) दिनांक 16.06.1983
5. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 345 (ई) दिनांक 29.03.1985
6. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 860 (ई) दिनांक 01.11.1985
7. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1155(ई) दिनांक 21.11.1988
8. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 100 (ई) दिनांक 04.03.1991
9. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 503 (ई) दिनांक 10.07.1993
10. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 622 (ई) दिनांक 27.06.1990
11. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 605 (ई) दिनांक 05.10.1998
12. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 516 (ई) दिनांक 08.07.1999

IndiaCode

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1999

G.S.R. 827(E).—In exercise of the power conferred by section 24 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely :—

1. 1) These rules may be called the Passport (Second Amendment) Rules, 1999,

2) They shall come into force with effect from 1 January 2000.

2. In Schedule IV to the Passport Rules, 1980, after serial No. 28 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :-

1	2	3	4
Out of turn (Tatkaal) Passports -			
29.	Issue of fresh out of turn (Tatkaal)Passports within seven working days of the date of application.	Rs. 1500/- plus the passport fee as applicable	Rs. 3750/- plus the passport fee as applicable
30.	Issue of fresh out of turn (Tatkaal) Passports between eight to twenty-eight working days of the date of application.	Rs. 1000/- plus the passport fee as applicable	Rs. 2250/- plus the passport fee as applicable

India Code

31.	Issue of duplicate out of turn (Tatkaal) Passport within five working days of the date of application in lieu of an ordinary passport where it has been stolen, damaged, destroyed or for any other such reasons.	Rs. 2500/- plus the duplicate passport fee as applicable	No fee in addition to the duplicate passport fee as applicable
32.	In all re-issue cases after expiry of ten/twenty years validity, where passport is to be re-issued within five working days of the date of application	Rs. 1500/- plus the passport fee as applicable	Rs. 3750/- plus the passport fee as applicable

Note : Only passport fee as applicable would be payable for grant of an out-of-turn Tatkaal passport covered under serial Nos. 29,30,31 and 32 in the following cases namely :-

(i) The applicant has been advised to go abroad for specialised medical treatment and consultation; and

(ii) in case of death abroad of spouse, father, mother, children, children's spouses, grand children, brothers and their spouses, and sisters and their spouses, of the applicant."

(iii) when a student applicant requires a passport for appearing in examinations for admission to foreign educational institutions, or for going abroad for studies provided his/her parents'/ guardians' income is less than Rs. 2000/- per month.

[F. No. VI/401/38/98]

S. R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)

3787 GI/99-2

Note : Principal rules published vide Notification No. GSR 657 (E) dated December 11, 1980 (1980 external) Part II Section 3, sub-section (I), subsequently amended by :-

1. Notification No. GSR 50 (E) dated 7.02.1980
1. Notification No. GSR 469 (E) dated 24.06.1982
2. Notification No. GSR 325 (E) dated 12.04.1983
3. Notification No. GSR 494 (E) dated 16.06.1983
4. Notification No. GSR 345 (E) dated 29.03.1985
5. Notification No. GSR 860 (E) dated 1.11.1985
6. Notification No. GSR 1155(E) dated 21.11.1988
7. Notification No. GSR 100 (E) dated 4.03.1991
8. Notification No. GSR 503 (E) dated 10.07.1993
9. Notification No. GSR 622 (E) dated 27.06.1990
10. Notification No. GSR 605 (E) dated 5.10.1998
12. Notification No. GSR 516 (E) dated 8.07.1999

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 -1999